विवरण

वर्ष 1994-95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के बारे में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 के लिए प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव (लाख रु० में)
1 असम	204.15
2. बिहार	400.00
3. गुजरात	1720.60
4. गोवा	300.00
5. हरियाणा	2589.50
6. हिमाचल प्रदेश	1862.34
7. जम्मू-कश्मीर	1760.00
8. कर्नाटक	3220.40
9. केरल	1604.67
10. मध्य प्रदेश	380.00
11. महाराष्ट्र	2834.38
12. मणिपुर	422.20
13. मिजोरम	138.04
14. नागालैंड	304.50
15. पंजाब	2500.00
16. राजस्थान	293.34
17. सिक्किम	167.74
18. तमिलनाडु	1265.27
19. त्रिपुरा	1571.82
20. उत्तर प्रदेश	12844.66
21. पश्चिमी बंगाल	338.00
22. उड़ीसा	271.50

उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

†3178. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की पृथक-पृथक संख्या सहित देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की कम संख्या में नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) न्यायाधीशों के आरक्षित पदों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में पदासीन न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्रियों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या की बाबत जानकारी मांगी गई है और इसके प्राप्त होने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के निबंधनों के अनुसार की जाती है, जिसमें किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में आरक्षण के लिए उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को समय-समय पर पत्र लिखे हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बार में से ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं का, पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, ताकि उच्च न्यायालयों में इस समय

विद्यमान की अपेक्षा उनको बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	पदासीन न्यायाधीशों की सं०
1.	इलाहाबाद	65
2.	आंध्र प्रदेश	26
3.	मुंबई	42
4.	कलकत्ता	32
5.	दिल्ली	24
6.	गुवाहाटी	11
7.	गुजरात	27
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू-कश्मीर	9
10.	कर्नाटक	25
11.	केरल	21
12.	मध्य प्रदेश	25
13.	मद्रास	25
14.	उड़ीसा	12
15.	पटना	36
16.	पंजाब और हरियाणा	26
17.	राजस्थान	20
18.	सिक्किम	2
		435
	उच्चतम न्यायालय	21

उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

†3179. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उपरोक्त संख्या में न्यायाधीशों के खाली पड़े स्थानों की संख्या कितनी है; और

(ग) इनका ब्यौरा क्या है, उन रिक्तियों के विरुद्ध न्यायाधीशों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद, पदासीन न्यायाधीशों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**।

उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। तथापि यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे।